UPHP120007172012

Presented on : 16-02-2012
Registered on : 16-02-2012
Decided on : 02-07-2026
Duration : 14 years, 4 months, 15 days

IN THE COURT OF
Civil Judge Junior Division
AT Garhmukteshwar,Hapur
(Presided Over by SMT. PARUL KUMARI)

Criminal Case/486/2013

सरकार

.....(वादी)

बनाम

1. सरदार कुलवन्त सिंह पुत्र समीर सिंह

निवासी ब्रजघाट, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ (तत्कालीन गाजियाबाद) उत्तर प्रदेश।

.....(अभियुक्त)

वाद संख्या–486/2013

मु०अ०सं०– 286/2009

अं०धारा–60/62 आबकारी अधिनियम

थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़।

घटना की तिथि	**अदम परिवाद**
आरोप–पत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	03.07.2009
न्यायालय द्वारा संज्ञान लिए जाने की तिथि	03.07.2009
अभियोग अपराध की धारा	60/62 आबकारी अधिनियम
अभियुक्त के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने की तिथि	19.11.2013
अभियुक्त का बयान धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये जाने की तिथि	02.07.2026
निर्णय तिथि	**02.07.2026**
विचारण का परिणाम	**दोषमुक्त**

निर्णय

1. प्रस्तुत मुकदमे में विवेचक थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ के द्वारा मु०अ०सं०–286/2009, अन्तर्गत धारा–60/62 आबकारी अधिनियम व 272 भा.दं.सं. में अभियुक्त **सरदार कुलवन्त सिंह पुत्र समीर सिंह** के विरूद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र सं० 172/2009 प्रस्तुत किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 03.07.2009 को संज्ञान लिया गया।

2. उक्त मुकदमा फर्द बरामदगी के आधार पर पंजीकृत किया गया। अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि "दिनांक 08.04.2009 को मैं एस.आई. शिवकुमार मय कांस्टेबल 2345 कालूराम, कांस्टेबल 1094 डालचन्द, कांस्टेबल 505 किशनस्वरूप शर्मा के गश्त शान्ति व्यवस्था ड्यूटी अन्द इलाका चौकी हाजा में रपट संख्या डी–14 समय 17.30 बजे रवाना होकर मामूर थे कि जब मैं एस.आई. मय कर्मचारीगण के गश्त करता हुए मोदी भवना के पास पहुंचा तो जरिए मुखबिरखास से सूचना मिली कि सरदार कुलवन्त अपने मकान के आंगन में भट्टी चलाकर कच्ची शराब निकाल रहा है। इस सूचना पर विश्वास करके जनता के गवाह मकसद बताते हुए लेने का प्रयास किया तो भलाई–बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। फिर आपस में ही एक–दूसरे की जामातालाशी ले–देकर विश्वास किया कि किसी के पास कोई कच्ची शराब से संबंधित वस्तु नहीं है। मुखबिर को साथ लेकर कुलवन्त के मकान के पास पहुंचकर दूर से इशारा करके बताया कि जिस मकान में यह उजाला हो रहा है, वहीं पर कच्ची शराब कशीद की जा रही है और मुखबिर चला गया। इकबाल के मकान की दीवार की आड़ से देखा तो कुलवन्त के मकान के आंगन में चूल्हा बना है। चूल्हे में आग जल रही है। चूल्हे के ऊपर डेग रखा है, जिसके मुंह पर मिट्टी की नाद रखी है तथा नाद के ऊपर एल्यूमिनियम क पतीली की पैंदी मिट्टी से चिपकी है तथा नाद से एक तरफ प्लास्टिक की पाइप निकली है, जो बराबर में रखी प्लास्टिक की कैन में लगी है तथा कच्ची शराब की बदबू उड़ रही है और एक व्यक्ति पतीली का पानी बराबर में लगे नल से लेकर बार–बार बदल रहा है। पूर्ण विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति वास्तव में कच्ची शराब की कशीदगी कर रहा है। एक साथ दीवार से कूद कर दबिस देकर इस व्यक्ति को मौके पर ही पकड़ लिया। पकड़े जाने पर नाम पूता पूछा, तो इसने अपना नाम कुलवन्त पुत्र समीर सिंह सरदार निवासी ब्रजघाट, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जिला गाजियाबाद बताया। इसके दाहिने हाथ से एक प्लास्टिक का डिब्बा बरामद हुआ तथा चूल्हे से एक डेग हिन्डोलियम, जिसमें लहन उबल रहा है तथा डेग के ऊपर मिट्टी की बनी हुई नाद तथा नाद में मिट्टी का एक पाला बीच में लकड़ियों से टंगा है, जिसमें प्लास्टिक के पाइप का एक शिरा लगा है तथा दूसरा शिरा नाद से बाहर निकल कर कैन के मुंह में लगा है, जिससे कच्ची शराब टपक रही है तथा नाद के ऊपर एक पतीली एल्यूमिनियम की रखी है, जिसकी पैंदी नाद पर मिट्टी से चिपकी है। बरामद हुई डेग से करीब 05 लीटर लहन बरामदे में पड़ी कैन में लिया गया तथा बराबर में रखी कैन में करीब 15 लीटर कच्ची शराब भरी है, बरामद हुई।

3. मामले की विवेचना पुलिस थाना गढ़मुक्तेश्वर द्वारा प्रारम्भ की गयी। विवेचनोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा–60/62 आबकारी अधिनियम व 272 भा.दं.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जिसपर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित आया तथा अभियुक्त द्वारा अपनी जमानत करायी गयी। धारा–207 दं०प्र०सं० के अनुपालन में अभियुक्त को पुलिस प्रपत्रों की नकलें प्रदान की गयीं।

5. मामला माननीय सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण पत्रावली को नियमानुसार दिनांक 07.02.2012 को माननीय सत्र न्यायालय सुपुर्द किया गया। दिनांक 23.08.2013 को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायालय,कोर्ट नम्बर–4, गाजियाबाद द्वारा आदेश में अभियुक्त को धारा 272 भा.दं.सं. के आरोप से उन्मोचित करने हेतु आदेशित किया तथा शेष धाराएं 60/62 आबकारी मजिस्ट्रेट द्वारा परिक्षणीय होने के कारण पत्रावली अवर न्यायालय को विचारण हेतु वापस भेज दी गयी। माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से पत्रावली इस न्यायालय को प्राप्त हुई है।

6. अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त के विरुद्ध धारा–60/62 आबकारी अधिनियम में न्यायालय द्वारा दिनांक 19.11.2013 को आरोप विरचित किया गया। अभियक्त ने आरोप से इन्कार किया एवं विचारण की

मांग की।

7. अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में गिरफ्तारी अभियुक्त, चिक एफआईआर, फर्द बरामदगी, जीडी कायमी मुकदमा तथा आरोप पत्र दाखिल किये गये हैं, किन्तु उन्हें साबित कराने के लिए अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया है। साक्षी प्रस्तुत न करने के कारण अभियोजन का साक्ष्य का अवसर दिनांक 02.07.2026 को समाप्त किया गया।

8. अभियोजन साक्ष्य के अवसर की समाप्ति पर अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा–313 दं० प्र०सं० अंकित किया गया। अभियुक्त ने अपने बयान में अभियोजन कथानक को गलत कहा, मुकदमा गलत चलना बताया, सफाई देने से इन्कार किया तथा कथन किया कि मैं निर्दोष हूं। मुझे गलत फंसाया गया है।

9. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया। अभियोजन अनुपस्थित।

10. प्रश्नगत् मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त पर आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–60/62 आबकारी अधिनियम को **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा हरेन्द्र सरकार बनाम स्टेट ऑफ असम 2008 ए०आई०आर० सुप्रीम कोर्ट 2467 व दिनेश सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० 2009 (67) ए०सी०सी० सुप्रीम कोर्ट पेज 737** में प्रतिपादित सिद्धांत के दृष्टिगत युक्ति युक्त सन्देह से परे साबित करना है।

11. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामले में आरोप पत्र 03.07.2009 को दाखिल किया गया तथा दिनांक 19.11.2013 को आरोप विरचित किया गया, तब से पत्रावली साक्ष्य में नियत है। साक्षी को प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन को अनेक अवसर प्रदान किए गए तथा पुलिस तथा अभियोजन के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र भी प्रेषित किए गए। यह मामला पिछले 17 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है तथा आरोप विरचित किए जाने के उपरान्त अभियोजन की ओर से किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है। अतः वाद की प्राचीनता तथा अभियोजन द्वारा साक्षी प्रस्तुत न किए जाने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 02.07.2026 को अभियोजन साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया।

12. इस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध अभियोग पिछले 17 वर्षों से अधिक समय से चल रहा है तथा वह अपने विरुद्ध चल रहे मुकदमे के निस्तारण का इन्तजार कर रहा था। आरोप विरचित हुए 13 वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है, परन्तु इतना समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी अभियोजन द्वारा किसी भी साक्षी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कराया जा सका। न्यायालय को न सिर्फ अभियोजन के अधिकारों की रक्षा करनी है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करना है कि अभियुक्त के संवैधानिक अधिकारों का हनन न होने पावे। त्वरित न्याय का सिद्धान्त संविधान द्वारा सभी नागरिकों को प्रदान किया गया है। इस मामले में भी अभियुक्त को अपने विरुद्ध चल रहे अभियोजन को त्वरित रूप से निस्तारित कराने का अधिकार प्राप्त है, परन्तु अभियोजन की शिथिलता के कारण वह लगभग 17 वर्षों से अधिक समय से इस मामले की कार्यवाहियों के अन्त का इन्तजार कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष यह समझ बैठा है कि न्यायालय उसे अनन्तकाल तक साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करता रहेगा। इस मामले में अभियोजन पक्ष ने विलम्बता की सभी हदें पार कर दी हैं। ऐसी स्थिति में न्यायालय के पास अभियोजन का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं बचा था। पत्रावली पर अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करके, अभिलेखीय साक्ष्यों को साबित

नहीं कराया जा सका है।

13. उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन, अभियुक्त के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है, निष्कर्षतः अभियुक्त **सरदार कुलवन्त सिंह पुत्र समीर सिंह** पर लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा 60/62 आबकारी अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक व्यवस्था 2017 (1) सुप्रीम कोर्ट 129 भगवान जगन्नाथ मार्कंड बनाम महाराष्ट्र राज्य** में प्रतिपादित सिद्धांत से सुसंगत है। **"It is acceptable principle of criminal jurisprudence that the burden of proof is always on the prosecution and the accused is presumed to be innocent unless proved guilt. The prosecution has to prove its case beyond reasonable doubt and the accused is entitled to the benefit of reasonable doubt".**

14. अतः अभियुक्त संदेह का लाभ पाने का अधिकारी है। निष्कर्षतः अभियुक्त **सरदार कुलवन्त सिंह पुत्र समीर सिंह** लगाये गये आरोप अंतर्गत धारा–60/62 आबकारी अधिनियम से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1. अभियुक्त **सरदार कुलवन्त सिंह पुत्र समीर सिंह** निवासी ब्रजघाट, थाना गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़ (तत्कालीन गाजियाबाद), उत्तर प्रदेश को **वाद संख्या–486/2013, मु०अ०सं०– 286/2009, अं०धारा–60/62 आबकारी अधिनियम, थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जिला हापुड़** के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के बन्धपत्र व जमानतनामे निरस्त किये जाते हैं तथा जमानतियों को अभियुक्त की जमानत के दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

2. अभियुक्त द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 437 ए के अंतर्गत अंकन 25,000/– रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान राशि के एक जमानती न्यायालय में दाखिल किया जाना सुनिश्चित हो। उक्त बंधपत्र व जमानतनामे छः माह की अवधि तक प्रवृत्त रहेंगे तथा अपीलीय न्यायालय द्वारा नोटिस किये जाने पर अभियुक्त अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। अभियुक्त के अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित न होने की स्थिति में उसके जमानतनामे एवं निजी बंधपत्र नियमानुसार जब्त किए जाने योग्य हैं।

दिनांकः–02.07.2026

(पारूल कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में मेरे द्वारा तिथि सहित हस्ताक्षर करके सुनाया गया।

दिनांकः–02.07.2026

(पारूल कुमारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर
हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:11:51 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court